संख्या- 314/18-1-2010-25(33)2003

प्रेषक,

नरेश बहादुर
उपसचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
उ.प्र., कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2010

विषय :- उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर (मुख्यालय) में समूह-'ग' सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरने के लिए सृजित अधिसंख्य पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2010-11 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-7938/3-सी/का0/अधिसंख्य/2009-10 दिनांक 04-02-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2495/18-1-2007-25(33)/2003 दिनांक 20-8-2007 द्वारा सृजित आशुलिपिक के 04 अधिसंख्य पद वेतनमान रू0 4000-6000 पुनरीक्षित 5200-20200 तथा शासनादेश संख्या-2934/18-1-2007 दिनांक 24-9-2007 द्वारा सृजित चालक संवर्ग वेतनमान रू0 3050-4590 संशोधित वेतनमान रू0 5200-20200 में सृजित एक अधिसंख्य पद की 01 मार्च, 2008 से दिनांक 28 फरवरी, 2009 तक निरन्तरता की स्वीकृति शासनादेश संख्या-516/18-1- 2008 दिनांक 26-2-2008 तथा शासनादेश संख्या-439/18-1-2009 दिनांक 4-3-2009 द्वारा 28 फरवरी, 2010 तक जारी की गयी थी, तदनुक्रम में ही उक्त पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2010 से दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आवश्यकता न रहने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त पदों की निरन्तरता उक्त तिथि के पूर्व भी समाप्त की जा सकती है।

2- उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय के बारे में वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त के सबंध में होने वाले व्यय का मदवार विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त के संबंध में होने वाले व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में शासन को व महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त अधिसंख्य पदों के वेतन आदि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-3 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-आयोजेनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय की मानक मदों के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
उप सचिव।

संख्या : 314 (1)/18-1-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (लेखा) अनुभाग-2
5- कार्मिक अनुभाग-2/4
6- अपर निदेशक उद्योग, कार्मिक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
7- संयुक्त निदेशक उद्योग, परिक्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद/मुरादाबाद/मेरठ ।
8- लघु उद्योग अनुभाग-2/3
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
उप सचिव।